संख्या–वे0आ0–2–1314 / दस– 59(एम) / 2008.

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008.

विषयः–वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या– वे0आ0–2–870 / दस– 34(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–824 / दस–34 (एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को 20 नवम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313 / दस–54(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन ऐसे पदधारकों को भी वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि / शर्तो की पूर्ति पर वैयक्तिक रुप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

4– दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत / देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय नहीं रह जायेगा।

5– ऐसे संवर्ग / पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण / संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण / संशोधन के दिनांक से चुन लें।

6— वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर देय मंहगाई भत्ता, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 (स्त्रोनयन) की संशोधित व्यवस्था, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा सामूहिक बीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

7— विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सार्वजनिक निगमों/उपकमों के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी।

8— उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरुप निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से आगे की अवधि में प्रस्तर–6 में उल्लिखित भत्ते एवं सुविधाओं को छोड़कर अन्य भत्तों/सुविधाओं की धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय धनराशि ही रहेगी।

9— इस शासनादेश द्वारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1314(1)/दस–59(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I एवं II तथा (आडिट)– I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10—गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

क0 सं0	वर्तमान वेतनमान (रु0)	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान (रु0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रु0)
1	2	3	4	5
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500*	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	5400
16	8000–275–13500**	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
17	8550–275–14600	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
18	10000–325–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
19	10650–325–15850	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
20	12000–375–16500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
21	14300–400–18300	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
22	16400–450–20000	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8900
23	18400–500–22400	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
24	22400–525–24500	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	12000
25	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

* जहॉं इस वेतनमान के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जातें हों अथवा जहॉं यह वेतनमान समयमान वेतनमान / ए.सी.पी. के रुप में देय हो।

** जहॉं इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो।